प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, सवाई माधोपुर..........थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022....................
   प्र. इ. रि. स. ....176/22................ दिनांक ....11/5/2022..............
2. (अ) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ..धारायें..... 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (ब) अधिनियम ....धारायें..
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....233..........समय..................5:10 pm..............
   (ब) अपराध घटने का दिन–सोमवार दिनांक 07.02.2022 समय.........
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 07.02.2022 समय. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पूर्व लगभग 08 किलोमीटर ....
   (ब) पता – पुलिस चौकी शहर, सवाई माधोपुर बीट सख्या ....जरायमदेहीसं...........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ..... पुलिस थाना....जिला.........
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री शुभम टटवाल
   (ब) पिता /पति का नाम श्री बाबूलाल टटवाल ....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष 28 वर्ष ....
   (द) राष्ट्रीयता........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........................
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय..
   (ल) पता... टी.बी क्लिनिक के पास, छीपा मोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :– ब्रजेश कुमार कानि नं. 92 पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर पुलिस थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ..... 8,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..... ....8,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री शुभम टटवाल पुत्र श्री बाबूलाल टटवाल, जाति टटवाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी टी.बी क्लिनिक के पास, छीपा मोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर ने दिनांक 07.02.2022 को ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मन अति0 पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश कि की मैं शुभम टटवाल पुत्र श्री बाबूलाल टटवाल, जाति टटवाल, उम्र 28 साल, निवासी टी.बी. क्लिनिक के पास, छीपा मोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर रहने वाला हूं तथा रणथम्बोर रोड पर आपणी बैठकर के नाम से चाय की दुकान लगाता हूँ। दिनांक 03 फरवरी 2022 को मेरे पास पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर के कानिस्टेबल ब्रजेश ने मेरे से कहा कि तेरे खिलाफ एक केस है, जिसकी जांच हेतु थानेदार जी तुझे चोकी पर बुला रहे है। इस पर मैं चौकी पर गया तो चौकी पर उपस्थित कानिस्टेबल ब्रजेश ने मुझे केस से नाम हटाने की एवज में पन्द्रह हजार रूपये की मांग रहे है। बल्कि मेरा उस लडकी के अश्लील विडियो से कोई लेना देना नही है और ना ही मैने कोई ऐसी हरकत की है, वो लोग मुझे इस केस में फसाने का

डर दिखाकर पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत लेना चाहते है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। बल्कि उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेंरी उनसे कोई पुराना लेन–देन व रंजिश नही है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताया गया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर उसी दिन समय 09.45 एएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में विभागीय सरकारी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को निकलवाकर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री शुभम टटवाल को समझाकर रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री मनोज कुमार कानि0 नं0 133 को सुपुर्द कर हिदायत दी कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व चालू कर उसे सुपुर्द करे तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। इस पर परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझे तीन–चार बजे बुलाया है। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री शुभम टटवाल को एवं कानि0 मनोज कुमार को वास्ते रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर में रवाना किया गया।

तत्पश्चात समय 06.00 पी.एम. पर मनोज कुमार कानि. रवानाशुदा वापिस आया व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी शुभम टटवाल चौकी से रवाना होकर पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर के पास पहुंचे, जहां पर मैने परिवादी शुभम टटवाल को डिजिटल वाईस रिर्काडर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द कर रवाना किया। इसके बाद परिवादी समय करीब 5.15 पी.एम पर मेरे पास आया तथा मैने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर पहुंचा। जहां पर मुझे पुलिस चौकी में आरोपी ब्रजेश कानि, भक्त वत्सल कानि. जितेन्द्र स0उ0नि0 उपस्थित मिले। मैने आरोपी से मेरे केस के संबंध में बातचीत की तो आरोपी ब्रजेश कानि. द्वारा मुझसे सीओ साहब के बंगले की रंग रोगन आदि कार्य के भुगतान करने हेतु केस से मेरा नाम हटाने की एवज में आठ हजार रूपये रिश्वत की मांग करी, जो मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। तथा वापिस आकर टेप चालू हालत में परिवादी ने मुझे सुपुर्द कर दिया। जिसे मैने बन्द कर अपने पास रख लिया और हम दोनो वहां से रवाना होकर आलनपुर सर्किल के पास पहुंचे तो परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी दुकान पर अर्जेन्ट ग्राहक बैठे है, मैं एक–दो घंटे बाद आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर मेरे निर्देशानुसार मनोज कुमार कानि. उपस्थित कार्यालय आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मनोज कुमार कानि से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा।

तत्पश्चात समय 08.15 पी.एम. पर परिवादी शुभम टटवाल उपस्थित कार्यालय आया। जिसने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं व मनोज कुमार कानि आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर के पास पहुंचे, जहां पर मुझे मनोज कुमार कानि. ने डिजिटल वाईस रिर्काडर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द कर रवाना किया। मैं रवाना होकर पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर पहुंचा। जहां पर मुझे पुलिस चौकी में आरोपी ब्रजेश कानि, एवं स्टॉफ के भक्त वत्सल कानि. व जितेन्द्र स0उ0नि0 उपस्थित मिले। मैने आरोपी ब्रजेश से मेरे केस के संबंध में बातचीत की तो आरोपी द्वारा मुझसे सीओ साहब के बंगले की रंग रोगन आदि कार्य के भुगतान करने हेतु केस से मेरा नाम हटाने की एवज में आठ हजार रूपये रिश्वत की मांग करी, जो मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है तथा वापिस आकर टेप चालू हालत में मनोज कुमार कानि. को सुपुर्द कर दिया, जिसे मनोज कुमार कानि ने बन्द कर अपने पास रख लिया और हम दोनो वहां से रवाना होकर आलनपुर सर्किल के पास पहुंचे जहां मैंने मनोज कुमार कानि. को बताया कि मेरी दुकान पर अर्जेन्ट ग्राहक बैठे है, मैं एक–दो घंटे बाद आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर मैं वहां से रवाना होकर अपनी दुकान पर चला गया और दुकान से फ्री होकर आपके कार्यालय में आया हूँ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाईस रिकार्डर में आज दिनांक 07.02.2022 को परिवादी शुभम टटवाल एवं आरोपी ब्रजेश कानि के मध्य पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को कार्यालय लेपटॉप में सेव करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर

के माध्यम से परिवादी श्री शुभम टटवाल एवं श्री भोलाराम कानि., मनोज कुमार कानि. के समक्ष सुना जाकर परिवादी शुभम टटवाल से पूछ--पूछ कर उपरोक्त गवाहान की मौजूदगी में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा कार्यालय लेपटाप में सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की श्री मनोज कुमार कानि. 133 से तीन डीवीडीयां क्रमश– मूल, मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर मूल व मुल्जिम डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा डीवीडी मार्क "A" मूल व मुल्जिम प्रति को श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. को जमा मालखाना करवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा गया।

तत्पश्चात समय 11.30 पी.एम. पर परिवादी शुभम टटवाल ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पास मेरे मिलने वालो के बार बार फोन आ रहे है और वो मुझसे मिलने की कह रहे है, आप मेरे को जल्दी फ्री कर दो, इस पर परिवादी को हिदायत दी गई की पन्द्रह तारीख तक जब भी आरोपीगण रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जावे तब ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आवे। बाद हिदायत परिवादी को रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.02.2022 समय 10:30 ए.एम. पर परिवादी श्री शुभम टटवाल पुत्र श्री बाबूलाल टटवाल, जाति टटवाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी टी.बी क्लिनिक के पास, छीपा गोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आया और एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को पेश किया और बताया कि दिनांक 07.02.2022 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र रिश्वत मांग के संबंध में दिया था। उस दिन मेरे साथ आपकी चौकी के मनोज कानि. और मेरे पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर से आने के बाद रात घर जाने पर उन लोगो के मिलने वालों के मेरे पास फोन आने लग गए और उन्होने उनकी सिफारीश की और मुझसे कार्रवाई नही करने हेतु दबाव डालने लग गये, अब उन लोगो को मेरे उपर शक हो गया है तथा उनको सत्यापन की भनक लग चुकी है। अब वो मेरे से रिश्वत राशि नही लेंगे। इसके बाद मैं दिनांक 08.02.2022 व दिनांक 09.02.2022 करे बरही शादी में जाने की वजह से मैं आपकी चौकी पर नही आ सका। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शुभम टटवाल के लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व परिवादी श्री शुभम टटवाल से मजीद दरियाफ्त की गई, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी परिवादी से पैसे नहीं लेंगे।

तत्पश्चात समय 11:30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में काम में ली गई पीतल की सील नं. 30 को परिवादी श्री शुभम टटवाल व गवाहान सर्वश्री मनोज कुमार कानि. नं. 133 व भोलाराम कानि. नं. 281 की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया, जिसकी फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवा कर फर्द शामिल पत्रावली की गई एवं परिवादी को ब्यूरो चौकी से मुनासिफ हिदायत कर रूखसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त ब्रजेश कुमार कानि. पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर पुलिस थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर द्वारा पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर में दर्ज महिला उत्पीडन से संबंधित अपराध में परिवादी श्री शुभम टटवाल को मुल्जिम नही बनाने की एवज में 15,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दर्ज रिकार्ड वार्ता दिनांक 07.02.2022 को परिवादी द्वारा राशि कम करने का कहने पर ब्रजेश कुमार कानि. द्वारा परिवादी से सीओ साहब के बंगले की रंग रोगन आदि कार्य के भुगतान करने हेतु व केस से परिवादी का नाम हटाने की एवज में 8000/–रू. की रिश्वत मांग पर सहमत होना पाया गया तथा उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री जितेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक व श्री भक्त वत्सल कानि. पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर की उपस्थिति है, परन्तु उक्त दोनों कर्मचारीयों की रिश्वत मांग से संबंधित वार्ता नही है।

अतः श्री ब्रजेश कुमार कानि. नं. 92 पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरिके से रिश्वत मांग कर आठ हजार रूपये रिश्वत की रिश्वत मांग पर सहमत होना एवं दिनांक 10.02.2022 को परिवादी शुभम टटवाल के लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोपी ब्रजेश

कुमार कानि. को परिवादी के उपर शक होने व ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करना पाया गया है। अतः अभियुक्त ब्रजेश कुमार कानि. नं. 92 पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर पुलिस थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेंवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बृजेश कुमार कानि. नम्बर 92, पुलिस चौकी शहर सवाई माधोपुर, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 176/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1565-69 दिनांक 11.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।